बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
CIN-U40102BR2012SGCo18495
Website:-www.bsphcl.bih.nic.in
DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प

संकल्प संख्या–H-V/7th PRC-Allowance-10003/2017 47 / पटना, दिनांक 18-6-/2018

विषय :– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के दिव्यांग कर्मियों को परिवहन भत्ता तथा तकनीकी एवं गैर तकनीकी कामगारों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर के संबंध में।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–1172 दिनांक–15.02.2018 द्वारा दिव्यांग सरकारी कर्मियों के परिवहन भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दरों के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। वित्त विभाग, बिहार सरकार के उक्त आदेश के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक–23.05.2018 को सम्पन्न 62वीं बैठक में संकल्प संख्या 62–14 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिव्यांग कर्मियों को परिवहन भत्ता तथा तकनीकी एवं गैर तकनीकी कामगारों को वर्दी भत्ता के दर को निम्नरूपेण पुनरीक्षित किया जाता है–

(क) दिव्यांग कर्मियों के लिए परिवहन भत्ता –

(i) पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संकल्प संख्या–39 दिनांक–26.03.2010 सह पठित संकल्प संख्या–78 दिनांक–04.06.2010 द्वारा पटना (यू0ए0) में पदस्थापित नेत्रहीन एवं शरीर के आधे निचले हिस्से की विकलांगता के चलते चलने–फिरने से मजबूर विकलांग कर्मियों को सामान्य की तुलना में दुगनी दर से शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य किया गया है।

(ii) वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–8043 दिनांक–11.10.17 के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या–64 दिनांक–28.12.17 द्वारा सामान्य कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति निम्नरूपेण दी गई है –

क्र० सं०	पे लेवल	शहरी परिवहन भत्ता	
		(पटना यू0 ए0)	अन्य नगर निगम
I	II	III	IV
1	पे लेवल–9 एवं अधिक	Rs.4000+DA	Rs.1500+DA
2	पे लेवल–6, 7 एवं 8	Rs.3000+DA	Rs.1000+DA
3	पे लेवल–1 से 5	Rs.1500+DA	Rs. 600+DA

(iii) वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–1172 दिनांक–15.02.2018 के द्वारा अंधे एवं विकलांग सरकारी सेवकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8043 दिनांक–11.10.2017 द्वारा निर्धारित दर के दुगुने दर से शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य किया गया है। अन्य क्षेत्रों यथा ग्रामीण क्षेत्रों, अवर्गीकृत शहरों तथा नगर परिषदों में पदस्थापित अंधे एवं विकलांग कर्मियों को ₹1200+DA प्रतिमाह अनुमान्य किया गया है।

(iii) अतः वित्त विभाग, बिहार सरकार के उक्त संकल्प के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों में पदस्थापित नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मियों को बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या–64 दिनांक–28.12.2017 द्वारा निर्धारित दर के दुगुने दर से शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य किया जाता है तथा अन्य क्षेत्रों यथा ग्रामीण क्षेत्रों, अवर्गीकृत शहरो तथा नगर परिषदों में पदस्थापित अंधे एवं विकलांग कर्मियों को प्रतिमाह ₹1200+DA अनुमान्य किया जाता है। यह पुनरीक्षित दर तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

(ख) तकनीकी एवं गैर तकनीकी कामगारों के लिए वर्दी भत्ता –

(i) पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या–759 दिनांक–08.02.1986 के द्वारा तकनीकी एवं गैर तकनीकी कामगारों, चालकों एवं महिला कामगारों के लिए ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी के

लिए मापदंड निर्धारित किया गया है। मापदंड के अनुरूप वर्दी के हकदार कामगारों को वर्दी के लिए कार्यालय आदेश संख्या–2620 दिनांक–31.07.2008 सह पठित संकल्प संख्या–190 दिनांक–13.12.2010 के द्वारा ग्रीष्मकालीन वर्दी हेतु ₹750/- प्रति वर्ष तथा शीतकालीन वर्दी के लिए ₹1125/- प्रत्येक चौथे वर्ष में नगद भुगतान किया जाता है।

(ii) अतः वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–1172 दिनांक–15.02.2018 के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी कामगारों को वर्दी भत्ता (धुलाई सहित) के रूप में ₹5000/-(पाँच हजार रूपये) प्रतिवर्ष अनुमान्य किया जाता है जिसका भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया जाएगा। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रभावी होगा।

आदेश से,
18/6/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)

ज्ञापांक 48 / पटना दिनांक 18-6- / 2018

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के (विशेष कार्य पदाधिकारी / तकनीकी सचिव / प्रधान आप्त सचिव) / निदेशक (प्रशासन) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)

ज्ञापांक 48 / पटना दिनांक 18-6- / 2018

प्रतिलिपिः– सभी महाप्रबन्धक (मा०सं० / प्रशा०) / सभी महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियंता / सभी मुख्य अभियंता / सभी महाप्रबन्धक (राजस्व) / महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा) / परियोजना प्रबंधक / सभी उप महाप्रबन्धक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी उप महाप्रबन्धक / सभी उप सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं० / प्रशा०) / विधि परामर्शी / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक) / उप विधि परामर्शी / सभी वरीय प्रबंधक / सभी अवर सचिव / सभी लेखा पदाधिकारी / कम्पनी सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

18/6/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)

ज्ञापांक 48 / पटना दिनांक 18-6- / 2018

प्रतिलिपिः–आवासीय अभियंता, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड अतिथिशाला, नई दिल्ली / कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)

ज्ञापांक 48 / पटना दिनांक 18-6- / 2018

प्रतिलिपिः– उप महाप्रबंधक (आई०टी०) / डाटा बेस एडमिनिस्टेटर, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त संकल्प को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के बेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

18/6/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)